



सत्यमेव जयते
Government of India



PROGRAMME FOR CULTURAL COOPERATION
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MAURITIUS
FOR THE YEARS 2023-2026

The Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Mauritius hereinafter referred to jointly as the "Parties"; and from time to time, singly as the "Party".

In pursuance of the Cultural Agreement between the Government of Mauritius and the Government of the Republic of India signed at Port Louis on 6th February, 1973

Have agreed on the following Programme for cultural cooperation in the fields of arts and cultural heritage for the years **2023-2026**.

1.0 CULTURAL COOPERATION IN ARTS AND CULTURAL HERITAGE

- 1.1 Both Parties shall exchange at least two cultural troupes of performing arts not exceeding 15 members in a year. The date and other details of the visit of the troupes shall be mutually agreed between both Parties, through diplomatic channels.
- 1.2 The Indian side shall organize an exhibition on folk art and traditions of the Republic of India in the Republic of Mauritius for a period of one week. The Mauritian side shall reciprocate by sending a similar exhibition to the Republic of India.

- 1.3 Both Parties shall exchange exhibitions of fine arts by selected artists for a period of two weeks. The exhibitions will be accompanied by the visit of one of the selected artists for conducting a workshop on styles and techniques of paintings. The timings and other details of the exhibition shall be worked out and shall be mutually agreed between both Parties.
- 1.4 The Indian side may invite a Mauritian painter/visual artist on tour to the Republic of India for a period of two weeks and to do a series of paintings on India. The Mauritian side undertakes to organize an exhibition of these paintings in the Republic of Mauritius.
- 1.5 The Mauritian side may similarly invite an Indian painter/visual artist to tour the Republic of Mauritius and to do a series of paintings of Mauritius. The Indian side undertakes to organize an exhibition of these paintings in the Republic of India.
- 1.6 Both Parties shall exchange lists of records of each other's interest/historical importance for eventual acquisition on microfilming, on terms to be mutually agreed between them.
- 1.7 The National Archives of the Republic of India may organize an exhibition in the Republic of Mauritius during the validity of this programme. The Mauritian side may similarly reciprocate.
- 1.8 The Government of the Republic of India may provide refresher courses for officers of the National Archives Department of the Republic of Mauritius in the fields of preservation, archives and records management, archival techniques including digitization of records prevalent in India and library management on terms to be mutually agreed between both Parties.
- 1.9 The Indian side shall depute two eminent Indian poets and writers to visit Republic of Mauritius for a period of one week and the Mauritian side shall reciprocate by sending two eminent Mauritian poets and writers to the Republic of India.
- 1.10 The National Museum of both Parties shall endeavor exchange exhibitions, artefacts and museum personnel. Exhibitions may be organized jointly by the respective museums.
- 1.11 The Indian side shall endeavor to provide training and attachment for museum personnel from the Republic of Mauritius in museology, museography, conservation of cultural property and digitization of objects and training in restoration of paintings to personnel of National Art Gallery on terms to be mutually agreed between both Parties.



- 1.12 The National Museum, in New Delhi, Republic of India may provide a set of replicas of Indian sculptures to the Republic of Mauritius on terms to be mutually agreed between both Parties.
- 1.13 The Indian side may arrange Short-Term Refresher/Theatre Appreciation courses in the different disciplines of theatre for the officers of the Drama Unit, Ministry of Arts and Cultural Heritage, Republic of Mauritius.
- 1.14 Both Parties shall promote exchange of performances between similar theatre institutes on a reciprocal basis by sending their productions in each other's theatre.
- 1.15 Both Parties shall exchange experts, technicians, administrative and management staff between similar theatre institutes of both countries, on reciprocal basis, which will strengthen institutional collaboration. This exchange may be done by conducting workshops, observing classes and training.
- 1.16 Both Parties shall exchange theatre journals and publications including e-versions on a reciprocal basis.
- 1.17 A framework of co-operation between the Archaeological Survey of India and the National Heritage Fund and the Aapravasi Ghat Trust Fund of Mauritius may be set up, with visits of two Indian Heritage Specialists and Mauritian personnel to each other's country in order to explore areas of heritage structures and sites preservation.
- 1.18 Management personnel of heritage sites in the Republic of India shall visit the Republic of Mauritius in order to advise on the management of such sites in the Republic of Mauritius. A reciprocal visit to the Republic of India by a delegation from the Mauritian side shall be conducted.
- 1.19 The Indian side may provide books on literature, theatrical arts and linguistics including Braille books (for visually impaired persons) pertaining to Hindi, Urdu, Tamil, Telugu, Marathi, Bhojpuri and Sanskrit on terms to be mutually agreed between both Parties.
- 1.20 The Indian side may provide a selection of books and visual educational materials for school children below the age of 18 years to learn arts and culture, inter-alia through illustrations, graphics and cartoons in different Indian languages on terms to be mutually agreed between both Parties.
- 1.21 The Government of the Republic of India may annually provide short training and attachment courses in the fields of preservation and conservation of library materials, historical documents, digitalization, library automation and networking, indexing and abstracting techniques, and cataloguing library materials using MARC 21 format.



IRR

- 1.22 Both Parties shall exchange reading materials on a reciprocal basis.
- 1.23 The Government of the Republic of India shall provide the services of experts in the field of (i) music and dance, (ii) mounting of sound and light shows at historical sites, including the Aapravasi Ghat, and (iii) restoration of artworks in the Republic of Mauritius, with the support of Indian Technical and Economic Cooperation (ITEC).
- 1.24 The Indian side shall provide set of musical instruments on a half to half cost sharing basis for distribution among organizations/institutions actively engaged in the promotion of Indian Culture and music in Mauritius. The list of musical instruments and the mode of cost sharing shall be worked out on terms mutually agreed upon by both Parties.

Ne

IBR

2. GENERAL AND FINANCIAL PROVISIONS

2.1. EXCHANGE OF INDIVIDUALS/DELEGATIONS/EXHIBITIONS

- a. Each Party shall send to the other side bio-data (including languages spoken) and proposed itinerary at least three months in advance of the expected date of visit of the delegation(s)/individual(s), troupe(s)/ensemble selected under this programme.
- b. The receiving side shall intimate the acceptance otherwise of the proposal within one month after receipt.
- c. After the receiving side conveys its acceptance, the sending side shall inform the receiving side at least four weeks in advance of the exact mode and time of arrival of the person(s).
- d. Persons invited shall know either the language of the receiving side or English.
- e. Both Parties shall extend facilities to delegation(s)/individual(s) sent from the other country to get acquainted with the culture and life of the host country.
- f. Both Parties shall provide free medical care in case of sudden illness.

2.2 EXCHANGE OF MATERIALS

Each Party has the right to use the materials exchanged in the fields of information, art & culture in its own programme and they shall not be given or disclosed by the receiving Party to any third party. The sending Party shall be responsible for authors' and artists rights as well as for the transportation expenses.

2.3. IN CASE OF VISITS NOT EXCEEDING ONE MONTH (INCLUDING DELEGATIONS)

- a. The sending Party shall cover return travel expenses.
- b. The receiving Party shall offer:
 - Internal travel;
 - Suitable free accommodation;
 - Suitable board and lodging, and
 - Suitable local transport.

2.4. VISITS EXCEEDING ONE MONTH

In the case of visits exceeding one month, both Parties shall agree upon financial terms in each case separately.



2.5. ENSEMBLES

- a. The proposals concerning the exchange of performing ensemble shall be made through diplomatic channels at least nine (9) months in advance. The receiving Party shall respond to the proposal within two (2) months.
- b. The sending Party shall cover travel cost of ensembles and transportation costs of their requisite to the first destination in the receiving country and back.
- c. The sending Party shall provide the receiving Party with the relevant information concerning the ensembles, programmes, press material, date of arrival and departure, etc, at least four (4) months in advance.
- d. However, variations from the above may be decided by the Parties by advance mutual agreement.

2.6. EXHIBITIONS

- a. The sending Party shall cover the international transportation costs connected with the transport of the exhibits to the first place of their destination, the receiving country and back to their destination in the sending country from the last place of exhibition in the receiving country.
- b. The receiving Party shall cover the costs connected with the transportation of the exhibits to other places within its territory.
- c. The receiving Party shall ensure at its own expense the installation of the exhibition and its publicity.
- d. The sending Party shall cover the cost of insurance for the period that the exhibition is out of its country. In case the sending Party suffers any loss or damage to the exhibits, the receiving Party shall assist the Sending Party to claim compensation from the insurance.
- e. The receiving Party shall ensure that proper interest in the exhibition is shown and general care of same is taken.
- f. A separate agreement shall be signed, where necessary, between the sponsoring and receiving institutions.





- g. The sending Party shall provide all the necessary material/description, data concerning the space needed for the exhibition and information for compiling catalogues, etc., three (3) months prior to the opening of the exhibition, if possible, and the exhibits at least six (6) months prior to the opening of the exhibition.

3. MISCELLANEOUS

- 3.1 Additional proposals, not included in this Programme, aiming at strengthening the friendly ties between the Parties, shall be considered and carried out by mutual consent of both Parties.
- 3.2 The financial terms applicable for the implementation of this Programme shall be settled by mutual consultations between both Parties.
- 3.3 Both Parties shall provide each other assistance in organizing joint cultural programmes/events which blend both the Indian and Mauritian Cultures namely in literature, music and dance.
- 3.4 Collaboration in areas which are mutually agreed upon by both Parties may be further explored and both Parties shall support each other's cultural activities to further promote and enhance the cultural space of the Indian diaspora in the Republic of Mauritius.
- 3.5 The present programme shall come into force on the date of its signature by the two Parties and shall remain valid until 31 December 2026 unless terminated earlier by either Party by giving the other Party at least six months advance notice, in writing and through diplomatic channels, of its intention to terminate the Programme.
- 3.6 The present Programme may be amended in writing at any time by mutual consent of both Parties.
- 3.7 The termination/expiry of this Programme shall not affect the validity or implementation of any arrangement, exchange or project agreed upon prior to the date of termination of this Programme.



3.8 Any differences arising out of the interpretation and implementation or application of this Programme shall be settled amicably between the Parties through consultation, negotiation or both.


Signed in Port-Louis, Mauritius on the 6th Day of July, 2023 in two originals each in English and Hindi languages. In case of divergence in interpretation, the English text shall prevail.

**FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF
INDIA**


.....

**High Commissioner
High Commission of the
Republic of India in Mauritius**


**FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF
MAURITIUS**

.....


**Permanent Secretary
Ministry of Arts and Cultural Heritage
Republic of Mauritius**



सत्यमेव जयते
Government of India



भारत गणराज्य की सरकार
तथा
मॉरीशस गणराज्य की सरकार
के बीच
वर्ष 2023-2026 के लिए
सांस्कृतिक सहयोग हेतु कार्यक्रम

भारत गणराज्य की सरकार और मॉरीशस गणराज्य की सरकार, जिन्हें इसके पश्चात संयुक्त रूप से 'दोनों पक्ष' और समय-समय पर एकल रूप से 'पक्ष' कहा गया है;

भारत गणराज्य की सरकार और मॉरीशस गणराज्य की सरकार के बीच 06 फरवरी 1973 को पोर्ट लुइस में हस्ताक्षरित सांस्कृतिक करार के अनुसरण में;

वर्ष 2023-2026 के लिए कलाओं और सांस्कृतिक विरासत के क्षेत्र में सांस्कृतिक सहयोग हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम पर सहमत हुए हैं:

1.0. कलाओं और सांस्कृतिक विरासत में सांस्कृतिक सहयोग

- 1.1 दोनों पक्ष, एक वर्ष में अधिकतम 15 सदस्यों वाली कम से कम दो मंच कला सांस्कृतिक मण्डलियों का आदान-प्रदान करेंगे। मण्डलियों के दौरों की तारीख व अन्य ब्यौरा राजनयिक चैनलों के माध्यम से दोनों पक्षों के बीच परस्पर सहमति से तय किया जाएगा।
- 1.2 भारतीय पक्ष एक सप्ताह की अवधि के लिए मॉरीशस गणराज्य में भारतीय पक्ष की लोक कला और परम्पराओं पर एक प्रदर्शनी आयोजित करेगा। इसी प्रकार मॉरीशस पक्ष भी भारत गणराज्य में सदृश प्रदर्शनी भेजेगा।
- 1.3 दोनों पक्ष, दो सप्ताह की अवधि के लिए चयनित कलाकारों द्वारा ललित कलाओं की प्रदर्शनियों का आदान-प्रदान करेंगे। इन प्रदर्शनियों के साथ चयनित कलाकारों में से एक कलाकार को भेजा जाएगा जो चित्रकारी की शैलियों तथा तकनीकों पर कार्यशाला आयोजित करेगा। प्रदर्शनी का समय व अन्य ब्यौरा दोनों पक्षों बीच परस्पर सहमत शर्तों के आधार पर तय किया जाएगा।
- 1.4 भारतीय पक्ष, मॉरीशस के एक चित्रकार/दृश्य कलाकार को दो सप्ताह के लिए भारत गणराज्य का दौरा करने तथा भारत पर पेंटिंग्स की श्रृंखला तैयार करने के लिए आमंत्रित करेगा। मॉरीशस पक्ष, मॉरीशस गणराज्य में इन चित्रों की एक प्रदर्शनी आयोजित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

Signature

Signature

- 1.5 इसी प्रकार मॉरीशस पक्ष, मॉरीशस गणराज्य का दौरा करने और मॉरीशस पर पेंटिंग्स की श्रृंखला तैयार करने के लिए एक भारतीय चित्रकार/दृश्य कलाकार को आमंत्रित करेगा। भारतीय पक्ष, भारत गणराज्य में इन चित्रों की एक प्रदर्शनी आयोजित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
- 1.6 दोनों पक्ष, परस्पर रूप से सहमत शर्तों के आधार पर माइक्रोफिल्मन के संबंध में समय-समय पर प्राप्ति करने के लिए एक-दूसरे के हित/ऐतिहासिक महत्व के अभिलेखों की सूचियों का आदान-प्रदान करेंगे।
- 1.7 भारत गणराज्य का राष्ट्रीय अभिलेखागार इस कार्यक्रम की वैधता के दौरान मॉरीशस गणराज्य में एक प्रदर्शनी आयोजित कर सकता है। इसी प्रकार मॉरीशस पक्ष द्वारा प्रदर्शनी का आयोजन किया जा सकता है।
- 1.8 भारत गणराज्य की सरकार भारत में मौजूद रिकॉर्डों के डिजिटिकरण और पुस्तकालय प्रबंधन सहित परिरक्षण, अभिलेखागार और अभिलेख प्रबंधन, अभिलेखीय तकनीकों के क्षेत्रों में मॉरीशस गणराज्य के राष्ट्रीय अभिलेखागार विभाग के अधिकारियों हेतु दोनों पक्षों के बीच परस्पर सहमति से तय किए गए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम प्रदान करेगी।
- 1.9 भारतीय पक्ष, एक सप्ताह की अवधि के लिए दो प्रख्यात भारतीय कवियों तथा लेखकों को मॉरीशस गणराज्य का दौरा करने हेतु प्रतिनियुक्त करेगा और इसी प्रकार मॉरीशस पक्ष, भारत गणराज्य में मॉरीशस के दो प्रख्यात कवियों तथा लेखकों को भेजेगा।
- 1.10 दोनों पक्षों के राष्ट्रीय संग्रहालय, प्रदर्शनियों, कलाकृतियों तथा संग्रहालय कार्मिकों के आदान-प्रदान का प्रयास करेंगे। ये प्रदर्शनियां संबंधित संग्रहालयों द्वारा संयुक्त रूप से भी आयोजित की जा सकती हैं।
- 1.11 भारतीय पक्ष, दोनों पक्षों के बीच परस्पर रूप से सहमत शर्तों के आधार पर संग्रहालय विज्ञान, संग्रहालय कला, सांस्कृतिक सम्पदा के संरक्षण और कलावस्तुओं के डिजिटिकरण तथा राष्ट्रीय कला गैलरी के कार्मिकों की पेंटिंग्स के पुनरुद्धार में प्रशिक्षण के क्षेत्र में मॉरीशस गणराज्य के संग्रहालय कार्मिकों को प्रशिक्षण व संयोजन प्रदान करने का प्रयास करेगा।
- 1.12 भारत गणराज्य का नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय दोनों पक्ष के बीच परस्पर रूप से सहमत शर्तों पर मॉरीशस गणराज्य को भारतीय मूर्तियों की प्रतिकृतियों का एक सेट प्रदान करेगा।
- 1.13 भारतीय पक्ष, मॉरीशस गणराज्य के कला और सांस्कृतिक विरासत मंत्रालय की नाटक इकाई के अधिकारियों के लिए रंगमंच की विभिन्न विधाओं में अल्पकालिक पुनश्चर्या/थिएटर समालोचना पाठ्यक्रम की व्यवस्था करेगा।
- 1.14 दोनों पक्ष, एक-दूसरे के रंगमंच में अपनी प्रस्तुतियां भेजते हुए परस्पर आधार पर सदृश रंगमंच संस्थानों के बीच प्रस्तुतियों का आदान-प्रदान करेंगे।
- 1.15 दोनों पक्ष, संस्थागत सहयोग सुदृढ़ करने के लिए पारस्परिक आधार पर दोनों देशों के सदृश रंगमंच संस्थानों के बीच विशेषज्ञों, तकनीशियनों, प्रशासनिक और प्रबंधन

JK

IPR

कार्मिकों का आदान-प्रदान करेंगे। यह आदान-प्रदान कार्यशालाओं, पर्यवेक्षण कक्षाओं और प्रशिक्षण के आयोजन द्वारा किया जा सकता है।

- 1.16 दोनों पक्ष, पारस्परिक आधार पर ई-रूपान्तरणों सहित रंगमंच पत्रिकाओं और प्रकाशनों का आदान-प्रदान करेंगे।
- 1.17 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण तथा मॉरीशस के राष्ट्रीय विरासत निधि और आप्रवासी घाट न्यास निधि के बीच सहयोग की रूपरेखा तैयार की जाएगी जिसके तहत विरासत भवनों तथा स्थल परिरक्षण के क्षेत्रों का पता लगाने के लिए भारतीय विरासत विशेषज्ञ और मॉरीशस के कार्मिक एक-दूसरे के देश के दो दौरे करेंगे।
- 1.18 भारत गणराज्य के विरासत स्थलों के प्रबंधन कार्मिक मॉरीशस गणराज्य में ऐसे स्थलों के प्रबंधन पर सुझाव देने के लिए मॉरीशस गणराज्य का दौरा करेंगे। इसी प्रकार मॉरीशस पक्ष से एक प्रतिनिधि मंडल द्वारा भारत गणराज्य का दौरा किया जाएगा।
- 1.19 भारतीय पक्ष, दोनों पक्षों के बीच परस्पर रूप से सहमत शर्तों पर हिन्दी, उर्दू, तमिल, तेलुगु, मराठी, भोजपुरी और संस्कृत से संबंधित ब्रेल पुस्तकों (दृष्टि बाधित व्यक्तियों के लिए) सहित साहित्य, रंगमंच कलाओं तथा भाषा विज्ञान पर पुस्तकें उपलब्ध कराएगा।
- 1.20 भारतीय पक्ष, दोनों पक्षों के बीच परस्पर रूप से सहमत शर्तों पर विभिन्न भारतीय भाषाओं में सचित्र विवरण, ग्राफिक्स और कार्टून के माध्यम से अन्य बातों के साथ-साथ कलाओं और संस्कृति की शिक्षा के लिए 18 वर्ष से काम आयु वर्ग के स्कूली छात्रों के लिए चयनित पुस्तकों और दृश्य शैक्षिक सामग्रियां उपलब्ध कराएगा।
- 1.21 भारत गणराज्य की सरकार, पुस्तकालय सामग्री, ऐतिहासिक दस्तावेजों के परिरक्षण एवं संरक्षण और डिजिटलीकरण, पुस्तकालय स्वचालन एवं नेटवर्किंग, विषय-सूची और संक्षेपण तकनीक तथा मार्क 21 फॉर्मेट का उपयोग करते हुए पुस्तकालय सामग्रियों का सूची पत्र तैयार करने, के क्षेत्र में वार्षिक रूप से अल्पकालिक प्रशिक्षण व संयोजन पाठ्यक्रम प्रदान करेगी।
- 1.22 दोनों पक्ष, पारस्परिक आधार पर पठन सामग्रियों का आदान-प्रदान करेंगे।
- 1.23 भारत गणराज्य की सरकार, भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) की सहायता से मॉरीशस गणराज्य में (i) संगीत एवं नृत्य (ii) आप्रवासी घाट सहित ऐतिहासिक स्थलों पर श्रव्य-दृश्य शो का आयोजन और (iii) कलावस्तुओं के पुनरुद्धार के क्षेत्र में विशेषज्ञों की सेवाएं उपलब्ध कराएगी।
- 1.24 भारतीय पक्ष मॉरीशस में भारतीय संस्कृति और संगीत के संवर्धन में सक्रिय रूप से कार्यरत संगठनों/संस्थानों के बीच वितरण के लिए बराबर-बराबर लागत साझा करने के आधार पर संगीत वाद्ययंत्रों का सेट प्रदान करेगा। संगीत वाद्ययंत्रों की सूची और लागत साझा करने की विधि के संबंध में दोनों पक्ष द्वारा पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर निर्णय लिया जाएगा।



IPR

2. सामान्य तथा वित्तीय प्रावधान

2.1 व्यक्तियों/प्रतिनिधिमंडलों/प्रदर्शनियों का आदान-प्रदान

- क. प्रत्येक पक्ष इस कार्यक्रम के तहत चुने गए प्रतिनिधिमंडल (प्रतिनिधिमंडलों)/व्यक्ति (व्यक्तियों)/मंडली (मंडलियों)/ कलाकार मंडली के मामले में दौरे की संभावित तारीख से कम से कम तीन माह पूर्व दूसरे पक्ष को जीवन-वृत्त (बोली जाने वाली भाषाओं सहित) तथा प्रस्तावित यात्रा कार्यक्रम की सूचना भेजेगा।
- ख. मेजबान पक्ष, प्रस्ताव प्राप्त होने के एक माह के भीतर प्रस्ताव की स्वीकृति या अस्वीकृति की सूचना देगा।
- ग. मेजबान पक्ष की ओर से स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने के पश्चात् प्रेषक पक्ष व्यक्ति(व्यक्तियों) के समुचित परिवहन माध्यम और आगमन के समय के संबंध में मेजबान पक्ष को कम से कम चार सप्ताह पहले सूचित करेगा।
- घ. आमंत्रित व्यक्तियों को मेजबान पक्ष की भाषा या अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना चाहिए।
- ङ. दोनों पक्ष, एक-दूसरे के देश से भेजे गए प्रतिनिधिमंडल/व्यक्ति को मेजबान देश की संस्कृति और जीवन से परिचित कराने के उद्देश्य से सुविधा प्रदान करेंगे।
- च. आकस्मिक अस्वस्थता के मामले में दोनों पक्ष निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान करेंगे।

2.2 सामग्रियों का आदान-प्रदान:-

प्रत्येक पक्ष को सूचना, कला और संस्कृति के क्षेत्र में आदान-प्रदान की गई सामग्रियों को अपने कार्यक्रमों में उपयोग करने का अधिकार होगा और मेजबान पक्ष द्वारा उन्हें किसी तृतीय पक्ष को प्रदान या प्रकट नहीं किया जाना चाहिए। प्रेषक पक्ष लेखकों के और कलाकारों के अधिकारों तथा परिवहन पर होने वाले व्यय हेतु उत्तरदायी होगा।

2.3 एक माह तक की अवधि के दौरे (प्रतिनिधिमंडलों सहित) के मामले में

- क. प्रेषक पक्ष वापसी यात्रा व्यय वहन करेगा।
- ख. मेजबान पक्ष निम्नलिखित प्रदान करेगा:-
 - आंतरिक यात्रा;
 - निःशुल्क आवास की समुचित व्यवस्था;
 - ठहरने और भोजन की समुचित व्यवस्था;
 - स्थानीय परिवहन हेतु समुचित व्यवस्था।

2.4 एक माह से अधिक अवधि के दौरे

एक माह से अधिक अवधि के दौरे के मामले में दोनों पक्ष प्रत्येक मामले में अलग-अलग वित्तीय शर्तों पर सहमत होंगे।

2.5 कलाकार मंडलियां



- क. कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली कलाकार मंडलियों के आदान-प्रदान से संबंधित प्रस्ताव राजनयिक चैनलों के माध्यम से कम से कम नौ (9) माह पूर्व प्रस्तुत किए जाएंगे। मेजबान पक्ष प्रस्ताव प्राप्त होने के दो (2) माह के भीतर प्रस्तावों पर अपनी प्रतिक्रिया देगा।
- ख. प्रेषक पक्ष मेजबान देश में प्रथम गंतव्य स्थल तक जाने और वहां से वापस आने के लिए कलाकार मंडली के यात्रा व्यय तथा उनके परिवहन व्यय वहन करेगा।
- ग. प्रेषक पक्ष मेजबान पक्ष को कलाकार मंडलियों, कार्यक्रमों, प्रेस सामग्री, आगमन तथा प्रस्थान की तारीख आदि से संबंधित संगत सूचना कम से कम चार (4) माह पूर्व देगा।
- घ. तथापि, उपर्युक्त में परिवर्तन का निर्णय इन दोनों पक्षों द्वारा परस्पर सहमति से अग्रिम रूप से लिया जाएगा।

2.6 प्रदर्शनियां

- क. प्रेषक देश द्वारा मेजबान देश में उनके प्रथम गंतव्य स्थल पर तथा मेजबान देश के अंतिम प्रदर्शनी स्थल से वापस प्रेषक देश के गंतव्य स्थल तक प्रदर्शों के परिवहन से संबंधित अंतरराष्ट्रीय परिवहन लागत का वहन किया जाएगा।
- ख. मेजबान पक्ष अपने देश में अन्य क्षेत्रों तक प्रदर्श के परिवहन संबंधी व्यय का वहन करेगा।
- ग. मेजबान पक्ष, अपने खर्च पर प्रदर्शनी लगाने और इसका प्रचार करना सुनिश्चित करेगा।
- घ. प्रेषक पक्ष, प्रदर्शनी के देश से बाहर रहने की अवधि के लिए बीमा लागत वहन करेगा। प्रेषक पक्ष के प्रदर्शों को यदि कोई नुकसान या क्षति होती है, तो बीमा कंपनी से क्षतिपूर्ति लेने के लिए मेजबान पक्ष, प्रेषक पक्ष की सहायता करेगा।
- ड. मेजबान पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि प्रदर्शनी में उचित अभिरूचि दिखाई जा रही है तथा इसकी सामान्य देखभाल की जा रही है।
- च. जहां आवश्यक होगा, प्रायोजक और मेजबान संस्थान के बीच पृथक करार किया जाएगा।
- छ. प्रेषक पक्ष प्रदर्शनी के लिए आवश्यक स्थान से संबंधित सभी अनिवार्य सामग्री/विवरण, आंकड़े तथा सूचीपत्र के संकलन आदि के लिए सूचना, यदि संभव हो, प्रदर्शनी शुरू होने से तीन (3) माह पूर्व तथा प्रदर्शों को, प्रदर्शनी शुरू होने से कम से कम छः (6) माह पूर्व भेजेगा।

3. विविध

- 3.1 दोनों पक्षों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं किए गए अतिरिक्त प्रस्तावों पर दोनों पक्षों की आपसी सहमति से विचार किया जाएगा और उन्हें कार्यान्वित किया जाएगा।
- 3.2 इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए लागू वित्तीय शर्तें, दोनों पक्षों के बीच परस्पर परामर्श से तय की जाएंगी।

- 3.3 दोनों पक्ष भारत और मॉरीशस की संस्कृतियों अर्थात् साहित्य, संगीत और नृत्य के मेल हेतु संयुक्त रूप से सांस्कृतिक कार्यक्रम/समारोह आयोजित करने में एक दूसरे की सहायता करेंगे।
- 3.4 दोनों पक्षों द्वारा परस्पर रूप से सहमत सहयोग के क्षेत्रों का आगे पता लगाया जाएगा और दोनों पक्ष मॉरीशस गणराज्य में प्रवासी भारतीयों के सांस्कृतिक कार्यक्षेत्र को और बढ़ावा देने तथा संवर्धित करने के लिए एक दूसरे के सांस्कृतिक कार्यकलापों में सहायता प्रदान करेंगे।
- 3.5 वर्तमान कार्यक्रम दोनों पक्षों द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख से प्रभावी होगा और यह 31 दिसंबर 2026 तक वैध रहेगा जब तक कि किसी भी पक्ष द्वारा, दूसरे पक्ष को कम से कम 6 (छः) माह पूर्व राजनयिक चैनलों के माध्यम से इस कार्यक्रम को समाप्त करने की अपनी मंशा की लिखित सूचना देते हुए इसे पहले समाप्त नहीं कर दिया जाता है।
- 3.6 वर्तमान कार्यक्रम को दोनों पक्षों की परस्पर लिखित सहमति द्वारा किसी भी समय संशोधित किया जा सकता है।
- 3.7 इस कार्यक्रम की समाप्ति/अंत होने से, कार्यक्रम के समापन की तारीख से पहले सहमत किसी व्यवस्था, आदान-प्रदान या परियोजना की वैधता या कार्यान्वयन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- 3.8 इस कार्यक्रम की विवेचना और कार्यान्वयन या अनुप्रयोग से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद को, दोनों पक्षों के बीच परामर्श, बातचीत या दोनों के माध्यम से सौहार्द्रपूर्वक निपटाया जाएगा।

इस कार्यक्रम परहः जुलाई.....2023 को पोर्ट लुइस, मॉरीशस में हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं की दो-दो मूल प्रतियों में हस्ताक्षर किए गए। निर्वचन में विभेद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

भारत गणराज्य की सरकार
की ओर से

.....
.....
.....

मॉरीशस गणराज्य की सरकार
की ओर से

.....
.....
.....

उच्चायुक्त
मॉरीशस में भारत गणराज्य का उच्चायोग

स्थायी सचिव
कला एवं सांस्कृतिक विरासत मंत्रालय,
मॉरीशस गणराज्य